

#### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1282] No. 1282] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. 59/2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 41, 42 और 43 के तहत नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 1418(अ).—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिटत विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा—3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017—अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 41 (नीतिगत शर्त सं० 2 के रूप में), अध्याय 42 (नीतिगत शर्त सं० 1 के रूप में) और अध्याय 43 (नीतिगत शर्त सं० 1 के रूप में) के अंत में निम्नलिखित नीतिगत शर्त निम्नानुसार समाविष्ट करती है:

### नीतिगत शर्तः सील की खाल का किसी भी रूप में आयात निषिद्ध है।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस), 2017 —अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 41, 42 और 43 के तहत सील की खाल की आयात नीति अधिसूचित की जाती है।

[फा॰ सं॰ 01/89/180/118/एएम-02/पीसी-2(क)/ई-1553] आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

1900 GI/2018 (1)

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

#### (Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2018

No. 59/2015-2020

Subject: Insertion of policy condition under Chapter 41, 42 and 43 of ITC (HS), 2017-Schedule-1(Import Policy).

**S.O. 1418 (E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby inserts the following Policy Condition at the end of Chapter 41 (as Policy Condition No.2), Chapter 42 (as Policy Condition No.1), and Chapter 43 (as Policy Condition No.1) of ITC (HS) 2017–Schedule–1(Import Policy) as under:

Policy Condition: Import of seal skin, in any form, is prohibited.

2. **Effect of this Notification**: Import policy of seal skin under Chapter 41, 42 and 43 of ITC (HS), 2017–Schedule–1(Import Policy) is notified.

[F. No. 01/89/180/118/AM-02/PC-2(A)/e-1553]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade